

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 1247 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, दिसम्बर 14, 2020.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषय-** जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 400 के0वी0 मुजफ्फनगर-विष्णुप्रयाग द्विपथ पारेषण लाईन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो नये टावरों के निर्माण हेतु 3.893 हे0 अतिरिक्त वन भूमि उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

**Proposal No- FP/UK/ TRANS/39376/2019**

**सन्दर्भ-** प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग का पत्रांक 1658/12-1 दिनांक 05.12.2020  
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग तथा उनके प्रभाग द्वारा निम्न प्रकार कर दिया गया है-

S. No	प्रश्न	उत्तरालेख
1	Shor narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-A-1(iii) of Part-I]. It should give comprehensive details of the project in brief.	बिन्दु सं0-1 क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्ति का निराकरण पार्ट-1 के पैरा-A के (iii) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
2	Provide component wise break up accordingly to layout plan in Form A Part I also upload layout plan for the project in additional information Form A Para I.	बिन्दु सं0-2 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा ले-आउट प्लान पार्ट-1 के Additional information details में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	Alternate alignment details has not been uploaded at section D (ii) in Form A, Part I. Please upload it.	बिन्दु सं0-3 का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पैरा D (ii) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
4	FRA certificate has not been uploaded at section K in Form A, Part I. Please upload FRA documents along with all annexure.	बिन्दु सं0-4 का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट पार्ट-1 के पैरा K (a) में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	Some other documents has been uploaded in the place of MoU and non encumbrance certificate at section L (iv-g,h) in Form A, Part I.	बिन्दु सं0-5 का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट-1 के पैरा L (iv-g,h) में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
6	Alternate map has been uploaded in the place of GPS map at section C (iv) in Form A, Part I.	बिन्दु सं0-6 का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट-1 के पैरा C (iv) में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

7	User agency may uploaded Additional information mandatory documents, In additional information also mentioned about name of remarks column in Form A, Part I.	बिन्दु सं०-7 के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज पार्ट-1 के Additional informatio details में ऑन लाईन अपलोड करा दिये गये हैं।
8	Original copy of the request document (As per the pints mentioned above) may be submitted.	बिन्दु सं०-8 के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मूल दस्तावेजों के प्रति अपने कार्यालय की पत्र सं० 1706/वि० 400 के०वी०उ०ख०(मु०)/एल-22266,दिनांक 05.12.2020 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून के कार्यालय को प्रेषित करा दी गई हैं।
9	User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded KML file in Form A, Part I.	बिन्दु सं०-9 के क्रम में अवगत करना है कि आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट-1 में के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन अपलोड करा दी गई है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी ।